डा॰ *0* सौरभ कुमार चैधरी व अन्य

बनाम्

भारत संघ व अन्य।

17 मई, *2004*

*[*आर.सी लाहोटी, बी.एन. अग्रवाल, अशोक भान, एस.बी.सिन्हा और डा॰ *0* ए.आर. लक्ष्मणन, न्यायमूर्ति*]*

भारत का संविधान, *1950*

अनुच्छेद *141, 142* और *144-* निर्णय-संभावित संचालन-मेडिकल दाखिला-सौरभ चैधरी के मामले में निर्देशित *50* प्रतिशत पी.जी. सीट में नामांकन सामान्य प्रवेश परीक्षा द्वारा-भारत संघ का अंतरिम आवेदन जिसके द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है कि सौरभ चैधरी के केस में निर्णय अग्रेतर रूप से लागू क्योंकि नामांकन प्रक्रिया *2004* पी.जी. सीट के लिए निर्णय के पूर्व पूरी कर ली गयी थी-निर्णित सीटों का आवंटन अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत केवल *25* प्रतिशत तक सीमित रहेगी जिनकी प्रक्रिया पहले शुरू कर दी गयी थी-शैक्षणिक संस्थानों-चिकित्सा प्रवेश।

बहुमत के अनुसार *(*लाहोटी, अग्रवाल, अशोक भान और डा॰ *0* लक्ष्मणन, जे.जे.*)*

1.1 डा॰ *0* सौरभ चैधरी के मामले में निर्णय को संभावित संचालित रूप से लागू करना और निर्देशित करना उचित होगा और इस प्रकार प्रवेश की प्रक्रिया को उसके संचालन से बाहर करने के लिए जो पहले से शुरू हो चुकी थी और निर्णय सुनाये जाने पर अंतिम रूप देने के करीब थी, यह निर्देश दिया जाता है कि अखिल भारतीय कोटे के तहत सीटों का आवंटन जिस प्रक्रिया के अनुसार शुरू किया गया था केवल *25* प्रतिशत तक सीमित रहेगा। *(615-*ई-एफ*)*

1.2 यह निर्देशित किया गया कि *16* सितम्बर, *2003* की विज्ञप्ति के आलोक में जो प्रक्रिया शुरू की गयी वह केवल *25* प्रतिशत तक सीमित रहेगी। *(615-*एफ*)*

सौरभ चैधरी एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य, *2003 11* एस.सी.सी. *146, (2003) 9* एस.सी.ए.एल.ई. *272,* स्पष्ट।

डा॰ *0* प्रदीप जैन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य। *(1984)3* एस.सी.सी. *654* तथा एम्स स्टूडेंट यूनियन बनाम एम्स *(2002)1* एस.सी.सी. *428,* संदर्भित।

डा॰ *0* दिनेश कुमार एवं अन्य *(II)* बनाम् मोतीलाल नेहरू मेडिकल का॰लेज, इलाहाबाद एवं अन्य *(1986)3* एस.सी.सी. *727,* रद्द/खारीज।
सिन्हा, न्यायमूर्ति *(*असहमत*)*

संविधान के अनुच्छेद *142* का प्रावधान न्याय निर्णय के समय ही निश्चित रूप से लागू करना चाहिए, इसके बाद नहीं। न्याय निर्णय के पश्चात् न्यायालय अगर अलग दृष्टिकोण मुख्य विचार से हटके रखता है तो न्यायालय केवल पुर्नविचार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। स्पष्टीकरण की आड़ में निर्णय के पुनर्विचार की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारत संघ का यह केस नहीं है कि सौरभ चैधरी के केस में दिए गए निर्णय को इस स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता है। अगर इसे लागू किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए जो मुख्य निर्णय का विरोधाभाषी हो मुख्य रूप से अनुपात के बिन्दु पर खासकर जब परीक्षायें इस न्यायनिर्णय के आने के पहले ली जा चुकी हैं। भावी प्रभाव से इस न्यायनिर्णय के लागू करने की मांग करना न्यायनिर्णय के पुर्नविचार के समतुल्य होगा, अतः स्पष्टीकरण के आवेदन की आड़ में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। संशोधित स्पष्टीकरण का आवेदन केन्द्र सरकार द्वारा गलत अवधारणा पर आधारित है। न्यायनिर्णय को पूर्णरूप से देखना चाहिए। किसी तरह की अस्पष्टता न्यायनिर्णय में नहीं है। *(625-*डी-ई*; 626-*ए-सी*)*

दिल्ली प्रशासन बनाम् गुरदीप सिंह उबन एवं अन्य, *[2000] 7* एस. सी. सी. *296,* सौरभ चैधरी एवं अन्य बनाम् भारत संघ और अन्य *, [2003] 11* एससीसी *146 = (2003) 9* स्केल *272;* डॉ. प्रदीप जैन और अन्य*;* आदि. बनाम् भारत संघ और अन्य। *, [1984, 3* एस. सी. सी. *654;* डॉ. दिनेश कुमार और अन्य। *(II)* बनाम् मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद और अन्य, *[1986] 3* एस. सी. सी. *727;* मगन मेहरोत्रा और अन्य बनाम् भारत संघ और अन्य। *(2003) 3* स्केल *101;* टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम् कर्नाटक राज्य और अन्य *, [2002] 8* एस. सी. सी. *481,* इस्लामी शिक्षा अकादमी और ए. एन. आर. बनाम् कर्नाटक राज्य और अन्य, जे. टी. *(2003) 7* एस. सी. *1;* भारत संघ बनाम नवीन जिंदल और अन्य। *, [2004] 2* एस. सी. सी. *510;* प्रफुल्ल कुमार दास और अन्य आदि. बनाम् उड़ीसा राज्य और अन्य, *[2003] 11* एस. सी. सी. *614,* एस.एस. बोला और अन्य बनाम् बी. डी. सरदाना और अन्य, *[1997] 8* एस.सी.सी. *522* और सीमा शुल्क आयुक्त, कलकत्ता और अन्य बनाम् इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड और अन्य, *[2004] 3* एस. सी. सी. *488,* संदर्भित किया गया।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः आई. ए. नं. *6-7* और *8,9-14/2003* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *29* में

भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत।

राजू रामचंद्रन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, रंजीत कुमार, गोपाल सुब्रमण्यम, के. राधाकृष्णन, पी. पी. मल्होत्रा, एस. के. ढोलकिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, एमसी ढींगरा, ए. मरियारपुथम, सुश्री अरुणा माथुर, शंकर दिवाते, परमानंद गौर, सुश्री सुनीता शर्मा, डी. एस. माहरा, दिवज्योत सिंह, टम्टा, मनोज कुमार दास, सिबो शंकर मिश्रा, मनिंदर सिंह, अंगद मिर्धा, सुश्री प्रतिभा एम. सिंह, सुश्री कृष्णा सरमा, सुश्री आशा जी. नायर, वी. के. सिद्धार्थन, अनिल श्रीवास्तव, बी. बी. सिंह, प्रकाश श्रीवास्तव, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री शालिनी गुप्ता, मोहित चैधरी, ध्रुव मेहता, सुश्री कविता वाडिया, जे. एस. अत्री, अनीस सुहरावर्दी, अशोक माथुर, संजय आर. हेगड़े, ख्वैरकपम नोबिन सिंह, एम. गिरीश कुमार, सुश्री कामाक्षी, एस. महलवाल, उदय ललित, रवींद्र कुमार अदसुरे, रंजन मुखर्जी, सुश्री वी. डी. खन्ना, राधा श्याम जेना, स्वरूप। पंजाब राज्य के लिए महाधिवक्ता कुलदिप सिंह, राज कुमार पांडे, जतिंदर कुमार भाटिया, सुश्री संध्या गोस्वामी, एच. सी. खरबंदा, सुब्रमण्यम प्रसाद, गोपाल सिंह, अनुराग शर्मा, नवीन प्रकाश, तारा चंद्र उपस्थित दलों के लिए शर्मा, सुश्री नीलम शर्मा, सुश्री सुनीता शर्मा, वी. जी. प्रगसम, सुश्री कामिनी जैसवाल और एम. एन. श्रॉफ।

न्यायालय के निम्नलिखित आदेश दिए गएः

I. लाहोटी, अग्रवाल, अशोक भान और डॉ. लक्ष्मणन, जेजेः

स्पष्टीकरण के लिए कई आवेदन दायर किए गए हैं, और इस न्यायालय के ***4*** नवंबर के फैसले को लागू करने के निर्देश ***4,*** डब्ल्यू. पी. *(सी) नं.-29/2003* सौरभ चैधरी और अन्य बनाम् भारत संघ और अन्य और संबंधित मामले *(*जब से *[2003] 11* एस. सी. सी. ***146*** के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं*)*।

निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाला मुद्दा यह था कि क्या कोई आरक्षण, चाहे वह निवास पर आधारित हो या संस्थागत वरीयता पर, संवैधानिक रूप से पीजी पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु जायज है। न्यायालय द्वारा निर्धारित निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है*:*

(1) अखिल भारतीय स्तर पर स्नातकोत्तर सीटों का कोटा *25* प्रतिशत के बजाय ***50*** प्रतिशत होना चाहिए जिसे आम प्रवेश द्वार से भरा जाना चाहिए परीक्षण।

(2) डॉ. प्रदीप जैन के मामले *[1984] 3* एस. सी. सी. ***654*** में इस न्यायालय द्वारा बनाई गई मूल योजना को तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि एक डॉ. दिनेश कुमार के मामले *[1986] 3* एस. सी. सी. *727* में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना की वरीयता केंद्रीय विधान द्वारा प्रतिस्थापित न कर दी जाय।

(3) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्नातकोत्तर सीटों के मुकाबले प्रवेश के उद्देश्य से चिकित्सा छात्रों को संस्थागत प्राथमिकता दी जाएगी चिकित्सा विज्ञान को एम. बी. बी. एस. में कुल सीटों के *50* प्रतिशत तक सीमित रहना चाहिए और एम्स छात्र संघ बनाम एम्स, *[2002] 1* एस. सी. सी. *428* में इस न्यायालय के निर्णय को जारी रखा जाना चाहिए।

अखिल भारतीय कोटा सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा है - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान *(*बाद में, एम्स*)* द्वारा आयोजित की जाती है। एम. डी./एम.एस. एवं पीजी डिप्लोमा और एम. डी. एस. पाठ्यक्रम *2004* में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु पुस्तिका नियमावली एम्स द्वारा जारी किए गए थे और सितंबर से बिक्री के लिए *22, 2003* से उपलब्ध थे। इसमें यह घोषणा की गई थी कि अखिल भारतीय आधार पर प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही थी। विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में *25* प्रतिशत सीटों पर नामांकन द्वारा खुली योग्यता वाली सीटों पर प्रवेश। इस संबंध में सार्वजनिक विज्ञापन *16* सितंबर, *2003* को जारी किया गया था। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि *27* अक्टूबर, *2003* थी। परीक्षाएँ *11* जनवरी, *2004* को आयोजित की गयी थी। परिणाम *4* मार्च *2004* को घोषित किया गया था। एम्स ने *25* प्रतिशत सीटें पीजी आवंटित करने के उद्देश्य से परामर्श शुरू किया गया। इस समय, कई आवेदन दायर किए गये हैं। भारत संघ द्वारा *2004* का आई. ए. सं. *8* दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय कोटे के लिए सीटों के प्रतिशत को *25* प्रतिशत तक सीमित करना उचित होगा, जबकि चयन और प्रवेश की प्रक्रिया के आधार पर प्रतिशत इस न्यायालय के निर्णय की तारीख से पहले ही शुरू हो चुका था। कुछ छात्रों द्वारा दायर किए गए कई अन्य समान आवेदन हैं जिनके पास है अखिल भारतीय कोटा के अलावा अन्य कोटा के खिलाफ प्रवेश के लिए आवेदन किया। आई. ए. सं. *7/2004* का मामला छात्रों के एक समूह द्वारा दायर किया गया है जो इसके खिलाफ प्रवेश की मांग कर रहे हैं। भारत संघ को *50* प्रतिशत उपलब्ध कराने के निर्देश के लिए अखिल भारतीय कोटा इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप अखिल भारतीय कोटे के तहत सीटें। इसी तरह के अन्य अनुप्रयोग भी हैं।

हमने विद्वान महान्यायवादी और अन्य सभी आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। बार में यह विवादित नहीं है कि प्रवेश की प्रक्रिया विवरण पत्रिका जारी करने के साथ शुरू हुई थी और सितंबर, *2003* में सार्वजनिक विज्ञापन, और उस समय परीक्षा की योजना बनाई गई थी और जाहिर है कि चिकित्सा स्नातकों ने भी *25* प्रतिशत सीटों के खिलाफ प्रवेश के लिए आवेदन किए होंगे। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने माध्यम से कानून को स्थापित किया है। *4* नवंबर, *2003* का निर्णय। तथापि, इस न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी विधि की घोषणा को इस प्रक्रिया पर लागू नहीं किया है - प्रवेश जो पहले ही शुरू हो चुका था। वास्तव में, कोई निर्णय नहीं है इसके विपरीत यथा संभावित प्रयोज्यता के रूप में इस न्यायालय के निर्णय का निर्णय और संभावित अधिमूल्यांकन डॉ। दिनेश

कुमार मामला *(ऊपर)*। इसने कई आवेदनों को प्रेरित किया है दाखिल किया जा रहा है और इसलिए स्थिति को स्पष्ट करने की आवश्यकता है ताकि शंकाओं को स्पष्ट किया जा सके।

हमारी राय में, निर्णय लेना और निर्देशित करना उचित होगा। डॉ. सौरभ चैधरी के मामले को केवल संभावित रूप से लागू किया जा रहा है। और इस प्रकार प्रवेश की प्रक्रिया को उसके संचालन से बाहर कर दिया जाता है जो शुरू हो चुका था और अंतिम रूप दिए जाने के करीब था जब फैसला सुनाया गया घोषित होने के लिए आया।

तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि अखिल भारतीय स्तर के तहत सीटों का आवंटन कोटा, वह प्रक्रिया जिसके बारे में दिनांक ***16*** सितम्बर, ***2003*** के विज्ञापन के अनुसार शुरू हुआ था, केवल ***25*** प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा। परिणामस्वरूप, भारत संघ द्वारा दायर आई. ए. सं. ***8/2004*** एवं ***9 , 12 , 13*** और ***14*** सामान राहत की मांग कर रहे हैं, और सामान रूख अपना रहे हैं, को स्वीकृत की जाती है।

आई. ए. नंबर ***6 , 7*** और ***10*** द्वारा ***50%*** अखिल भारतीय आरक्षण को लागू करने की मांग को चालू वर्ष के लिए और संघ द्वारा लिए गए एक के विपरीत रुख अपनाना भारत को बर्खास्त कर दिया जाता है।

आई. ए. सं. ***11*** में 'स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम' शब्दों के प्रतिस्थापन की मांग निर्णय के पैरा ***74*** में 'एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम' का स्थान *(जैसा कि एससीसी में बताया गया है)* यह पूरी तरह से अनावश्यक है। इसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है।

परामर्श पर रोक का अंतरिम आदेश रद्द कर दिया गया है। ऐसा ही होगा। अब फिर से शुरू करें।

II. सिन्हा जे.*:*

क्या इस न्यायालय का संविधान पीठ का निर्णय सौरभ चैधरी और अन्य बनाम् भारत संघ और अन्य, ***[2003] 11*** एस. सी. सी. ***146 = (2003) 9*** स्केल ***272*** को शैक्षणिक सत्र ***2005-06*** के लिए संभावित रूप से लागू किया जाना चाहिए। वर्ष ***2005-06*** इन अंतर्वर्ती आवेदनों में शामिल प्रश्न है जो न केवल इच्छुक छात्रों के प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा बल्कि भारत संघ द्वारा दायर किया गया है स्नातकोत्तर के विभिन्न विषयों में चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु।

आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित योजना विभिन्न राज्यों द्वारा विकसित किया गया, चाहे वह अधिवास या संस्था पर आधारित हो लंबे समय से इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर रहा है। संस्थागत अधिवास आरक्षण की वरीयता में आरक्षण को इसके साथ समर्थन मिला डॉ. प्रदीप जैन और अन्य आदि बनाम् भारत संघ और अन्य आदि, ***[1984] 3*** एस. सी. सी. ***654*** जिसमें यह आयोजित किया गया था।

'इसलिए हमारा विचार है कि जहां तक पदों पर प्रवेश की बात है एम. एस., एम. डी. और इसी तरह के स्नातक पाठ्यक्रमों का संबंध है। किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं करना विशेष रूप से वांछनीय होगा राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता या संस्थागत वरीयता के आधार पर। लेकिन, व्यापक विचारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में अवसर की समानता और संस्थागत निरंतरता जिसका अपना महत्व और मूल्य है, हम निर्देश देंगे कि यद्यपि राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आरक्षण के लिए आधार नहीं होगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में सीटों का प्रतिशत संस्थागत वरीयता के आधार पर इस अर्थ में आरक्षित किया जा सकता है कि एक छात्र जिसने किसी मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय से एमबीबीएस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए वरीयता दी जा सकती है। एक ही मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम लेकिन इस तरह के संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध रिक्त सीटों की कुल संख्या के *50* प्रतिशत से भी अधिक। हम जो सीमा तय कर रहे हैं, वह भी भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निचले हिस्से में उसी तरह से संशोधन के अधीन होगी जैसे हम तय कर रहे हैं। एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के मामले में हमारे द्वारा निर्देशित। लेकिन, यह निर्देश देगा कि जहाँ तक न्यूरोढरी जैसी सुपर स्पेशलिटीज हैं और हृदय रोग का संबंध है, कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए सभी संस्थागत वरीयता और प्रवेश के आधार पर भी। यह विशुद्ध रूप से अखिल भारतीय आधार पर योग्यता के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया*)*

उन्होंने कहा कि इस न्यायालय द्वारा डॉ. दिनेश कुमार *(*द्वितीय*)* बनाम में निर्णय में संशोधन किया गया था। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद और अन्य *, [1986] 727* बयान करते हुए*:*

*"...*इसलिए हम भारत सरकार से सहमत हैं कि *22* जून, *1984* के हमारे मुख्य निर्णय में हमारे द्वारा अपनाया गया सूत्र *(*डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ, *[1984] 3* एस. सी. सी. *654* सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए जो उपलब्ध कराई जानी चाहिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश के लिए परिवर्तन किया जाना चाहिए। हम भारत सरकार द्वारा योजना में दिए गए सुझाव के अनुसार निर्देश देंगे कि प्रत्येक में कुल सीटों की संख्या का *15* प्रतिशत से कम न हो। वैध रूप से किए गए किसी भी आरक्षण को ध्यान में रखे बिना मेडिकल कॉलेज या संस्थान को अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा मानदंडों के आधार पर भरा जाएगा... "

इस सिद्धांत को मगन मेहरोत्रा और अन्य में दोहराया गया था। भारत संघ संघ और अन्य, *[2003] 3* स्केल *101.*

सौरभ चैधरी *(ऊपर)*, संवैधानिक को ध्यान में रखते हुए और संवैधानिक वैधता को बनाए रखते हुए समय की आवश्यकता ट्यूशनल आरक्षण आयोजित किया गया थाः

"हालाँकि, समानता पर एक कानून की वैधता को बनाए रखने के लिए परीक्षण को तर्कसंगतता के मानक पर आंका जाना चाहिए। यह डॉ. प्रदीप के. जैन के मामले *(ऊपर)* में देखा गया कि आरक्षण *50* प्रतिशत की सीमा तक उचित माना गया। हालांकि बाद में डॉ. दिनेश कुमार के मामले *(ऊपर)* में यह कुल सीटों का *25* प्रतिशत तक कम हो गया। आरक्षण का उक्त प्रतिशत था। अब काफी हद तक बदल गया है। बीस साल बीत चुके हैं। देश ने इस दौरान बड़ी संख्या में स्नातकोत्तर चिकित्सकों को बनाया है। हमारा संविधान प्रकृति से संबंधित है। सजीव होने के नाते यह सतत चल रहा है और समय बीतने के साथ, कानून को चाहिए परिवर्तन करें। संवैधानिक कानून के आयाम का विस्तार हो रहा है।

मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि मूल योजना जैसा कि डॉ. दिनेश कुमार के मामले *(ऊपर)* की तुलना में प्रदीप जैन के मामले *(ऊपर)* को दोहराया जाना चाहिए। इसलिए आरक्षण, संस्थागत वरीयता *50* प्रतिशत सीटों तक सीमित होनी चाहिए क्योंकि यह जनहित में है।"

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि पूरे देश में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों के लिए केवल एक परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। उक्त आदेश था इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तीर्ण किया गया है कि जबकि एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है अखिल भारतीय कोटे के *25* प्रतिशत के मुकाबले प्रवेश, अन्य परीक्षाएँ संबंधित विश्वविद्यालयोंध्राज्यों द्वारा आयोजित की जा रही हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि भिन्न-भिन्न इस तरह की परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और छात्रों की योग्यता का आकलन इसके लिए आयोजित एक परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए।

सौरभ चैधरी *(ऊपर)* में सुनवाई पूरी हो गई और फैसला *29.4.2003* पर सुरक्षित रखा गया था। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अंतर्वर्ती आवेदन, उत्तरदाताओं को न लेने के निर्देश के लिए परिणामों के अनुसार या आगे बढ़ने के लिए छात्रों का प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, हालांकि, *29.4.2003* पर सुना गया था और इसके बाद आदेश *1.5.2003* निर्देश पर पारित किया गया था*:*

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण है और सफल छात्रों को अपने संबंधित सौरभ चैधरी व अन्य में शामिल होना है। यदि याचिकाकर्ताओं का प्रवेश

विषय हो सकता है तो *2* मई, *2003* को और उससे शुरू होने वाले अध्ययन पाठ्यक्रमों को न्याय के हित से वंचित कर दिया जाएगा।

इन याचिकाओं के निर्णय के लिए। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम किसी भी आगे के अंतरिम आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का प्रवेश स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम इन याचिकाओं में निर्णय के अधीन होंगे।"

यह विवाद में नहीं है कि भारत संघ और सभी राज्य थे रिट याचिका के पक्षकार, और इस प्रकार, उपरोक्त आदेश के साथ-साथ तथ्य से अवगत थे कि मामले में निर्णय सुरक्षित रखा गया है। इसके बावजूद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान *(एम्स)* ने जारी किया। अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए *25* प्रतिशत कोटा तय करने के लिए *16.9.2003* पर एक कथित विज्ञापन। यह विफल रहा और उपेक्षित रहा। यह इंगित करें कि उक्त विज्ञापन सौरभ चैधरी *(ऊपर)* में निर्णय के परिणाम के अधीन होगा*;* हालाँकि इसके विवरण पत्रिका संदर्भ में इस न्यायालय के पूर्व आदेश को लागू किया गया था। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि *29.10.2003* पर तय की गई थी और प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी *11.1.2004* पर और व्यक्तिगत उपस्थिति द्वारा सीटों का आवंटन तय किया गया था *8.3.2004* पर परिणाम घोषित किए गए थे।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत संघ लागू नहीं कर रहा था। सौरभ चैधरी *(उपरोक्त)* मामले में इस न्यायालय के फैसले में आई. ए. सं. के रूप में विभिन्न अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए गए थे। *6 , 7* और *10,* अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहतें प्रार्थना करना चाहते हैंः

"(क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को प्रदान करने का निर्देश देना। *25* प्रतिशत अतिरिक्त सीटों के अनुसार सीटों की संख्या इस माननीय न्यायालय द्वारा एम्स को पारित दिनांक *4.11.2003* के निर्णय का ताकि वह उस आधार पर परिणाम घोषित कर सके और उसके बाद परामर्श आयोजित करें।

(ख) डी. जी. एच. एस. द्वारा शुरू होने वाली परामर्श प्रक्रिया पर रोक लगाएँ। *15.3.2004* एमएस/एम. डी./पीजी पाठ्यक्रम के लिए सीटें आवंटित करने के लिए *2004* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट *[2004]* एस. यू. पी. *2* एस सी आर।
(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को जारी करने का निर्देश दें संस्थागत आधार पर इसके *50* प्रतिशत से अधिक न भरें जैसा कि निर्णय के अनुसार इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित है।

(घ) ऐसा अन्य आदेश या आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय कर सके उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझें।"

उक्त आवेदनों में से एक ***11.3.2004*** पर दाखिल किया गया था। भारत संघ ने केवल ***19.3.2004*** पर स्पष्टीकरण के लिए आवेदन दायर किया फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद इस न्यायालय से संपर्क करें। यदि उसे इस निर्णय में जारी निर्देशों को लागू करने की प्रभावशीलता के संबंध में कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा तो तुरंत इस अदालत का दरवाजा खटखटा सकता था इस घोषणा के बाद लेकिन इसने छात्रों द्वारा दायर अन्य आवेदनों तक प्रतीक्षा करने का विकल्प चुना।

एक निर्णय के कारण, जैसा कि सर्वविदित है, एक कानून घोषित किया जाता है। इस तरह के कानून की घोषणा पक्षों के अधिकारों को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित कर सकती है। इसलिए, न्यायालय द्वारा किसी निर्णय के संभावित आवेदन को होना चाहिए - स्पष्ट रूप से कहा। इसके अलावा ***1.5.2004*** का आदेश इस तथ्य का संकेत है कि इस न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि छात्रों का प्रवेश पहले ही हो चुका था। इसके बावजूद उसी तरह, इस तरह के प्रवेश रिट याचिका के परिणाम के अधीन किए गए थे। इसलिए, पक्षों को इस तथ्य के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता था कि उन छात्रों के संबंध में निर्णय लागू किया जाएगा जिन्हें ***2004*** और उसके बाद प्रवेश लेना था। अखिल भारतीय में उपस्थित होने वाले छात्र एम्स या राज्य सरकारों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा या विश्वविद्यालय, संभवतः उक्त तथ्य से अवगत थे।

जैसा कि अंतर्वर्ती आवेदनों में से एक आई. ए. सं***0-12/2004*** से प्रतीत होता है कि छात्र दोनों परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे। जिन छात्रों ने स्पष्ट रूप से अखिल भारतीय परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वालों ने सौरभ चैधरी बनाम के लिए आवेदन दायर किया है।

राज्य की परीक्षा में छात्रों के अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना नहीं है अखिल भारतीय परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम और इसके विपरीत। यह किसी का तर्क नहीं है कि सामान्य रूप से छात्र ऐसा कर सकते हैं। एम्स और राज्य के विश्वविद्यालय दोनों द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित नहीं होना। एक बार मौका मिलने के बाद उन्हें यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि उन्होंने विश्वविद्यालयध्राज्य द्वारा आयोजित परीक्षा की तैयारी की थी। डॉ. सौरभ चैधरी *(उपरोक्त)* में निर्णय के अवलोकन से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है।

किसी भी व्यक्ति का यह अनुरोध नहीं है कि सामान्य में विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं, एम्स द्वारा तथा राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, में सम्मिलित नहीं हो सके। यदि एक बार वे सम्मिलित हो गये उनके द्वारा ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उनलोगों ने राज्य/विश्वविद्यालय की परीक्षा की तैयार की थी।

डॉ. सौरभ चैधरी *(उपरोक्त)* में निर्णय के अवलोकन से कोई संदेह नहीं है कि उसमें योग्यता पर जोर दिया गया था। अनिश्चित शर्तों पर, इस न्यायालय ने नहीं माना कि छात्रों की अन्तर योग्यता का निर्णय एक परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए जो निर्धारित करने के लिए मानदंड होना चाहिए। इतने स्पष्ट निर्देश के बावजूद, दो परीक्षाएँ आयोजित की गईं।

आरक्षण योग्यता के नियम के खिलाफ है। एक ***11***-इसकी न्यायाधीश पीठ टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य ***[2002]8***एस.सी.सी.***481***। उक्त निर्णय इस्लामी शिक्षा अकादमी और अन्य में व्याख्या के लिए आया। इसी स्थिति को इस्लामिक अकादमी और अन्य बनाम स्थिति कर्नाटक और अन्य, जे. टी. ***(2003) 7*** एससी ***1.*** इसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

'हालाँकि, ऐसा कोई पूर्णरूपेण सही तरीका नहीं हो सकता है जिसके तहत आने वाले सभी समय के लिए एक छात्र की योग्यता का आकलन किया जा सके। हालाँकि, केवल इसलिए कि एक छात्र अलग स्थिति में और अलग स्थिति में अलग-अलग प्रदर्शन कर सकता है। समय अपने आप में अलग-अलग समय पर उसकी योग्यता का आकलन करने के लिए अलग-अलग मानकों को अपनाने का आधार हो सकता है *(*पैरा ***59)***। विभिन्न तरीकों से किसी भी उद्देश्य के लिए और विशेष रूप से प्रवेश के उद्देश्य के लिए योग्यता जहाँ तक संभव हो एक पेशेवर कॉलेज को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट ***[2004]*** एस. यू. पी. पी. पर आंका जाना चाहिए। समान या समान परीक्षा का आधार। दूसरे शब्दों में, अंतर से समान रूप से स्थित छात्रों के बीच योग्यता को समान मानदंड या मानक लागू करके आंका जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के परीक्षाएँ, प्रश्नों के विभिन्न समूह, विभिन्न तरीके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने से मामले में एक ही छ छात्र से अलग-अलग परिणाम मिल सकते हैं।

तथापि, अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा छात्रों का चयन यहाँ तक कि उनके समुदाय के सदस्यों के लिए भी वंचित नहीं किया जा सकता है योग्यता। केवल दी गई स्थिति में कम योग्य उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय को सामान्य श्रेणी की तुलना में प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तौर-तरीकों पर काम करना होगा। इसके लिए न्यायिक समानता के रूप में हर प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है गुणवत्ता खंड का उल्लंघन। *(* देखें प्रदीप जैन बनाम। भारत संघ, ***[1984] 3*** एस. सी. सी. ***654."***

वह उपरोक्त निर्णय हम में से एक द्वारा देखा गया था सौरभ चैधरी *(ऊपर)* भी।

हम में से एक, लक्ष्मणन, जे. ने कहाः

'इस न्यायालय ने इंद्र साउनी बनाम भारत संघ के मामले में इस दृष्टिकोण को मंजूरी दी थी। अगर कोई इस मुद्दे को निर्धारित अनुपातों की भावना के प्रकाश में देखे प्रीति श्रीवास्तव बनाम मध्यप्रदेश राज्य, ए. आई. आर. *(1999)* एस. सी. *2894* और एम्स छात्र संघ बनाम। एम्स, ए. आई. आर. *(2001)* एस. सी. *3262,* के परिपेक्ष्य में देखे तो एक अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि संवैधानिक आरक्षण के तहत विचार किया गया था। अनुच्छेद *15 (4)* को न्यूनतम स्तर पर रखा जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लक्ष्य की प्राप्ति में रुचि अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं होती है।''

अन्य बातों के साथ, यह निष्कर्ष निकाला गया थाः

'(4) संस्थागत वरीयता *50* प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए और बाकी को अखिल भारतीय आधार पर विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता के लिए छोड़ दिया जा रहा है।

एक मेधावी छात्र का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने का अधिकार एक मौलिक और मानव अधिकार है, जिसकी आवश्यकता संरक्षित है। इस तरह के मूल्यवान अधिकार को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

संविधान एक जीवंत अंग है। सीटों के आरक्षण के मामले में राज्य की नीति की तर्कसंगतता हमेशा न्यायिक जांच के अधीन होती है। इस प्रकार, अधिकारों का निर्धारण निर्णय की व्याख्या संविधान के संदर्भ में किया जाता है। भारत संघ बनाम् नवीन जिंदल और एक अन्य, *[2004] 2*एस. सी. सी. *510,* इस न्यायालय ने कहाः

'' संविधान की व्याख्या करना एक कठिन कार्य है जबकि न्यायालय द्वारा व्याख्या करते समय के साथ उनके अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ और वाचाएँ लेकिन लचीलेपन के सिद्धांत को भी ध्यान में रखते हुए। इस अदालत ने बिना किसी संख्या के बार किया है मौलिक के प्रावधानों का दायरा और प्रावधानों का का अधिकार, संविधान निर्माताओं के इरादे और उद्देश्य सहित कई कारकों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि भारत के संविधान के भाग *IV* और *IVA* में परिलक्षित होता है, किया है।''

यह आगे ध्यान दिया गयाः

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *(*पी. यू. सी. एल.*)* और एक अन्य आदि में। भारत संघ और एक अन्य, *[2003] 4* पृष्ठ *403* एस. सी. सी. *399,* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया*:*

''...यह स्थापित किया गया है कि मौलिक अधिकारों की कोई निश्चित सामग्री नहीं है, उनमें से अधिकांश खाली पात्र हैं जिनमें प्रत्येक पीढ़ी को अपने अनुभव के आलोक में अपनी सामग्री

डालनी चाहिए। न्यायालय का प्रयास इसकी पहुंच और दायरे का विस्तार करना होना चाहिए। न्यायिक व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा मौलिक अधिकार, संविधान को युवा, ऊर्जावान और जीवित रखने की आवश्यकता है।"

उक्त विवाद को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक योजना की व्याख्या की गई समाज की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार। इसलिए, निर्णय होना चाहिए। पूर्ण प्रभाव दिया जाए ताकि उन छात्रों को कोई लाभ न मिले जो कर सकते थे अखिल भारतीय परीक्षा में कोई रैंक हासिल नहीं की लेकिन राज्य आयोजित परीक्षा में रैंक हासिल की। उक्त छात्र उससे कम मेधावी हैं जिन्होंने एम्स द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया।

इसके अलावा, केवल एक विज्ञापन के कारण, छात्रों ने किसी भी निहित या अर्जित अधिकार से कम कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है। *(*देखें प्रफुल्ल कुमार दास और अन्य आदि बनाम् उड़ीसा राज्य और अन्य आदि, ***[2003] 11*** एस. सी. सी. ***614).***

एक कानून को केवल तभी लागू किया जाता है जब वह निहित हो या अर्जित अधिकार छीन लिया जाता है अन्यथा नहीं। *(* एस. एस. बोला और अन्य देखें वी. बी. डी. सरदाना और अन्य, ***[1997] 8*** एससीसी ***522)***। कानून घोषित करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय पक्षकारों के अधिकार को पीछे की ओर भी प्रभावित कर सकता है।

इस न्यायालय ने हाल ही में सीमा शुल्क आयुक्त, कलकत्ता और अन्य बनाम् इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड और एक अन्य, ***[2004] 3*** एस. सी. सी. ***488*** ने इस प्रकार कानून निमित्त की हैः

"जैसा कि धारा ***151-***ए से स्पष्ट है, बोर्ड को अधिकार प्राप्त है - वस्तुओं के वर्गीकरण या शुल्क लगाने के संबंध में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आदेश या निर्देश जारी करना जरूरत है। ऐसे निर्देश जारी करना तब उत्पन्न होता है जब उन मामलों के संबंध में कोई संदेह या अस्पष्टता होती है। अधिनियम का प्रशासन करते समय सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अलग-अलग विचार लिए जाने की संभावना अनिश्चितता और भ्रम पैदा कर सकती है। इससे बचने के लिए इस स्थिति में, धारा ***151-***ए को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा ***37-***ए की तर्ज पर लागू किया गया है। इस तरह के परिपत्र जारी करने की स्पष्ट आवश्यकता तब महसूस की जाती है जब इस विषय पर न्यायालय का कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती है। एक बार जब न्यायालय द्वारा उच्चतम स्तर पर प्रासंगिक मुद्दे पर निर्णय लिया जाता है, तो परिपत्र का आधार और आधार गायब हो जाता है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून सभी स्तरों पर निर्णयों में एकरूपता सुनिश्चित करेगी। व्याख्यातीत संवैधानिक प्रावधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी बनाया गया है। अनुच्छेद ***141)***। कानून सभी न्यायाधिकरणों के लिए बाध्यकारी है

और अधिकारी। क्या यह कहा जा सकता है कि कानून घोषित होने के बाद भी उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अभी भी देना चाहिए कानूनी को नजरअंदाज करते हुए बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र पर प्रभाव इस न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थिति? कानूनी स्थिति के बाद भी देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया, क्या सीमा शुल्क प्राधिकरण बोर्ड के परिपत्र को प्राथमिकता देना जारी रखता है? क्या धारा *151*-ए को इस हद तक ले जाया जाना चाहिए? क्या ऐसा? इस उद्देश्य के लिए अधिनियमित था? क्या यह उल्लंघन नहीं है? एक वैधानिक जनादेश का पालन करते हुए संवैधानिक जनादेश परिपत्र में अंतर्निहित कारण और तर्क के बाद भी गायब हो जाता है, क्या परिपत्र का पालन करना अनिवार्य है? ये वे सवाल हैं जो मुझे परेशान करते हैं और ये हैं निष्कर्ष जो अनुसरण करते हैं यदि इस न्यायालय की टिप्पणियाँ धीरेन केमिकल इंडस्ट्रीज के दो मामलों को उनके तार्किक दृष्टिकोण पर ले जाया गया है निष्कर्ष।"

इसके अलावा, यह बेहद संदिग्ध है कि क्या कोई संविधान पीठ भारत के संविधान के अनुच्छेद *142* के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद *142* के तहत इस न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय को बदल सकता है। निर्णय देने के बाद न्यायालय केवल अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। निर्णय की समीक्षा स्पष्टीकरण की आड़ में नहीं दी जा सकती (दिल्ली प्रशासन बनाम देखें। गुरदीप सिंह उबन और अन्य, *[2000] 7* एस. सी. सी. *296)*।

इसके अलावा, किसी निर्णय की समीक्षा या संशोधन का आदेश होना चाहिए। आम तौर पर उन आवेदकों के कहने पर भी पारित नहीं किया जाता है जो रिट याचिका के पक्षकार नहीं हैं।। दूसरी ओर, भारत संघ और राज्य रिट याचिका के पक्षकार थे। अनुच्छेद *141* के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद *144* के संदर्भ में फैसले को लागू करने के लिए बाध्य थे। उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय था। अगर उन्होंने कोई और निर्णय लिया होता, तो यह उनका अपना जोखिम होता। मेधावी छात्रों को इसके लिए पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

हमें ध्यान देना चाहिए कि यह भारत संघ का मामला नहीं है कि सौरभ चैधरी (ऊपर) में निर्णय को इस पर भी प्रभावी नहीं किया जा सकता है। स्टेज। यदि इसे लागू किया जा सकता है तो अदालत को ऐसा निर्देश जारी नहीं करना चाहिए जो मुख्य रूप से इस न्यायालय द्वारा निर्णय निर्धारित अनुपात के विपरीत निर्णय का प्रतिपादन चलेगा, विशेष रूप से जब परीक्षाएँ बहुत बाद में आयोजित की गई थीं। अदालत से फैसले को लागू करने के लिए कहना यह न्यायालय संभावित प्रभाव से समीक्षा के लिए कहने के बराबर होगा और, इस प्रकार, स्पष्टीकरण के लिए आवेदन दाखिल करके इसे प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

भारत संघ द्वारा दायर स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए आवेदन है - पूरी तरह से गलत आधार पर आधारित एक निर्णय, जैसा कि सर्वविदित है, को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए यह स्पष्ट है कि इसमें कानून की घोषणा स्पष्ट रूप से की गई है। स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाली कोई अस्पष्टता मौजूद नहीं है।

इसलिए, मैं भाई लाहोटी, जे. की राय से सम्मानपूर्वक असहमत हूं। मेरा विचार है कि इसे लागू करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है जिसमें सौरभ चैधरी *(ऊपर)* में दिये गये निर्णय का अनुपालन शैक्षणिक वर्ष ***2005*** के लिए किया जा सके।

मामला लंबित है।